संख्या-2/2016-आडिट-2-954(2)/दस-2016-370(2)/2016

प्रेषक,

शीतल वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
छठवॉ तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स,
इलाहाबाद।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 04 नवम्बर, 2016

विषयः- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में उपनिदेशक के पदों पर तैनाती होने के फलस्वरूप रिक्त पदों पर तैनाती/अतिरिक्त प्रभार दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रसं0-राज0अधि0/शा-216 दिनॉक 12-08-2016 के संबंध में यह अवगत कराना है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-4720/दस-53/98, दिनॉक 16-10-1998 द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के जनपद स्तर के कार्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी0डी0ओ0 कोड संख्या-4298 आवंटित किया गया है।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-2193/दस-2016, दिनॉक 23-09-2016 के द्वारा वित्त (लेखा परीक्षा)अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/2016-आडिट-2-363/दस-2016-350(1)/2011, दिनांक 26-07-2016 द्वारा नवसृजित मण्डलों एवं जनपदों के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 16-10-1998 द्वारा जनपद मिर्जापुर, बस्ती, अलीगढ, बॉदा तथा गोण्डा में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को आवंटित डी0डी0ओ0 कोड संख्या निरस्त करते हुए उनके स्थान पर उक्त जनपदों में स्थापित विभागीय कार्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को तथा जनपद औरैया, कन्नौज, बागपत, हापुड, रामपुर, सम्भल, अमेठी, ललितपुर, शामली, पीलीभीत, संत कबीरनगर व कासगंज में स्थापित विभागीय कार्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी0डी0ओ0 कोड संख्या-4298 आवंटित किया गया।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 16-10-1998 एवं 23-09-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन-जिन जनपदों में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तैनात नहीं है, उन जनपदों में आहरण एवं वितरण के अधिकार के साथ-साथ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व का पूर्ण प्रभार उक्त जनपदों के संबंधित मण्डल के उपनिदेशक द्वारा संपादित किया जायेगा।

इस स्थिति से यदि कोई भी विचलन किया जाना अपरिहार्य है तो शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाय। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(शीतल वर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2016-आडिट-2-954(3)/दस-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवॉ तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद ।
5- संबंधित अधिकारी।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वैभागीक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।